संख्या-157/2025/।/1166826/2025/71-1001/231/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध एस0आर0एन चिकित्सालय परिसर में बाल चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य हेतु सेवाकर/जी0एस0टी0 की धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/45/97, दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध एस0आर0एन चिकित्सालय परिसर में बाल चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य हेतु सेवाकर/जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1,4833080 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध एस0आर0एन चिकित्सालय परिसर में बाल चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-40-राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु **सेवाकर/जी0एस0टी0 मद में अतिरिक्त जमा की गयी रू0 148.33 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तालीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जाती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रधानाचार्य द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु जी0एस0टी0 की देय धनराशि के आकड़ो के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-87/2016/433/71-1-2016-जी-263/2015 दिनांक 30.03.2016 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,48,33,000 (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054000 मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in